



डॉ. प्रमोद मीणा

मुसलिम स्त्री के सेकुलर संवैधानिक उपचार पर अदालती मुहर

तलाकशुदा मुसलिम स्त्री को गैर मुसलिम स्त्रियों की भांति पति से संबंध विच्छेद की स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 125 के तहत गुजारा-भत्ता पाने का हक है या नहीं, यह विषय लंबे वक्त से कानूनी विवाद का विषय रहा है। 1985 के ऐतिहासिक शाहबानो मामले में सर्वोच्च अदालत द्वारा जब इसी विषय पर सुनवाई करते हुए तलाक की स्थिति में मुसलिम स्त्री को मुसलिम पर्सनल कानून से इतर अनुच्छेद 125 के तहत सेकुलर संवैधानिक उपचार का अधिकारी माना गया था, तो केंद्र की तत्कालीन राजीव गाँधी सरकार ने मुसलिम कट्टरपंथियों के दबाव में मुसलिम स्त्री (विवाह विच्छेद विषयक अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधिनियमन द्वारा अदालती निर्णय को अमान्य करने की चेष्टा की थी। तब से लेकर आज तक देश के विभिन्न हिस्सों की छोटी-बड़ी अदालतों में तलाकशुदा मुसलिम स्त्री के गुजारे-भत्ते को लेकर इन दोनों कानूनों के बीच टकराव की स्थिति बारंबार देखी जाती रही है। कई उच्च न्यायालयों ने इस संदर्भ में अलग-अलग निर्णय दिये हैं किंतु सर्वोच्च अदालत के हालिया निर्णय ने इस कानूनी विवाद का समाधान कर दिया है। सर्वोच्च अदालत के फैसले से यह स्पष्ट हो जाता है कि 1986 का कानून तलाकशुदा मुसलिम स्त्री के गुजारा-भत्ता के अधिकार को मात्र मुसलिम पर्सनल कानून के तहत प्रदत्त राहत तक ही सीमित कर देने का पक्षधर नहीं है। अदालत के अनुसार मुसलिम स्त्री इसके साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 125 के तहत भी भरण-पोषण की अधिकारी है। यद्यपि अदालत ने 1986 के

कानून की संवैधानिक वैधता को नकारा नहीं है किंतु अपनी तलाकशुदा पत्नी के गुजर-बसर की जो जिम्मेदारी मुसलिम पति के लिए 1986 के कानून में इदत की अवधि तक ही सीमित रखी गई थी, उसके बारे में अदालत की राय है कि वह विस्तारिक कर देने चाहिए। इस संदर्भ में 1986 के अधिनियम के खंड 3 की प्रतिबंधनात्मक व्याख्या को अदालत ने लैंगिक न्याय की दृष्टि से प्रतिगामी बताया है। अदालत का कहना है कि अपनी तलाकशुदा पत्नी के भविष्य के लिए तार्किक और न्यायपूर्ण जिम्मेदारी उठाने का दायित्व पति का ही होता है। अदालत का यह निर्णय स्त्री मात्र के अधिकारों की जबर्दस्त वकालत करता प्रतीत होता है। सर्वोच्च अदालत का यह निर्णय एक मुसलिम व्यक्ति की उस याचिका की सुनवाई के तहत आया है जिसमें उस व्यक्ति ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती दी थी जिसमें अंतरिम गुजारे-भत्ते के रूप में दस हजार उसे अपनी पूर्व पत्नी को देने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता का दावा था कि 1986 वाला कानून दंड संहिता प्रक्रिया के अनुच्छेद 125 पर भी लागू होता है। अदालत द्वारा सुनवाई के बाद इस याचिका को खारिज करते हुए मुसलिम स्त्री को अनुच्छेद 125 के तहत भी राहत का अधिकारी मानना अपने आप में दूरगामी और निर्णायक असर रखने वाला साबित होने वाला है। पर्सनल कानूनों के नाम पर सेकुलर संवैधानिक उपचारों से व्यक्ति को विशेषतः स्त्री को वंचित किये जाने पर इससे रोक लग पाएगी। न सिर्फ मुसलिम स्त्री के साथ बल्कि किसी भी धर्म की स्त्री के

साथ पर्सनल कानून की बिनाह पर होने वाला भेदभाव पुरोगामी है और लैंगिक समानता और न्याय की दृष्टि से सेकुलर देश में अस्वीकार्य है। ध्यातव्य है कि 1986 वाला कानून तलाकशुदा मुसलिम स्त्री के लिए निर्वाह व्यय को इदत की अवधि तक और बच्चों के लिए दो साल की आयु तक ही सीमित कर देता है।

वास्तव में 2001 में भी एक संवैधानिक पीठ 1986 के कानून के प्रावधानों को मुसलिम महिलाओं के प्रति भेदभावमूलक होने के आधार पर असंवैधानिक मानने की हद तक जा चुकी थी। उस पीठ ने 1986 के कानून को उसी सूरत में वैध ठहराया था जबकि उसकी व्याख्या इस तरह से की जाए कि वह कानून मुसलिम स्त्रियों को सेकुलर संवैधानिक उपचारों से वंचित न करे। न्यायधीश बी.वी. नागरत्न और न्यायधीश ऑगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने अभी जो निर्णय दिया है, उससे अंतिम रूप से इस सारे विवाद का समाधान हो जाना चाहिए। अपने निर्णय में पीठ का मानना है कि पुनर्विवाह तक तलाकशुदा मुसलिम स्त्री का गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए इदत की अवधि के दौरान उसके गुजारे-भत्ते विषयक अधिकार और मेहर एवं दहेज की वापसी विषयक उसके अधिकारों को 1986 के कानून में जिस प्रकार से संहिताबद्ध किया गया है, वह 1986 के कानून के तहत उसे प्राप्त अतिरिक्त राहत मानी जानी चाहिए। 1986 के कानून के तहत प्राप्त यह राहत किसी भी अन्य धर्म की स्त्री की तरह भरण-पोषण के उसके सेकुलर अधिकार को कमतर नहीं कर सकती। 1986 का कानून मुसलिम पर्सनल कानून के तहत तलाकशुदा मुसलिम स्त्री के अधिकारों को संहिताबद्ध करता है किंतु मुसलिम पर्सनल कानून के तहत प्रदत्त ये अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 125 के तहत स्वीकृत अधिकारों की कीमत पर नहीं हैं। न सिर्फ मुसलिम स्त्री के साथ बल्कि किसी भी धर्म की स्त्री के साथ पर्सनल कानून की बिनाह पर होने वाला भेदभाव पुरोगामी है और लैंगिक समानता और न्याय की दृष्टि से सेकुलर देश में अस्वीकार्य है। निर्णय देते हुए न्यायधीश मसीह टिप्पणी करते हैं कि गुजारा भत्ता विषयक पर्सनल कानून के प्रावधान और सेकुलर संवैधानिक उपचार, दोनों के अपने-अपने विशिष्ट दायरे हैं और दोनों का समानांतर अस्तित्व है। जहाँ अपने भरण-पोषण में सक्षम न होने पर कोई भी महिला दंड संहिता प्रक्रिया के अनुच्छेद 125 का इस्तेमाल कर सकती है, वहीं 1986 का कानून मुसलिम पति को बाध्य करता है कि एक निश्चित अवधि तक वह अपनी तलाकशुदा पत्नी और बच्चों की परवरिश की आर्थिक जिम्मेदारी वहन करे। न्यायधीश मसीह के मत का समर्थन करते हुए न्यायधीश नागरत्न ने अनुच्छेद 125 के सामाजिक उद्देश्य को रेखांकित किया है जो पति को गुजारे-भत्ते के लिए बाध्य करते हुए तलाकशुदा स्त्री को भिक्षावृत्ति से बचाती है।

स्पष्ट है कि यह निर्णय मुसलिम स्त्री के अधिकारों के विस्तारण और सेकुलर संवैधानिक उपचार तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में कानूनों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की दिशा में मील का पत्थर कहा जा सकता है। इस निर्णय ने इस भ्रम को जड़ से समाप्त कर दिया है कि 1986 का कानून मुसलिम स्त्रियों को दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 125 से वंचित कर देने वाला है। वास्तव में इस निर्णय को स्त्री अधिकारों के व्यापक दायरे में देखा जाना चाहिए। तलाक उपरांत किसी भी स्त्री के लिए गरिमापूर्ण जीवन हेतु अपेक्षित निर्वाह व्यय प्राप्त करना लैंगिक समानता और न्याय की सुनिश्चितता से जुड़ा अनिवार्य मसला है, न कि यह कोई खैरात की बात है। इस निर्णय को भारतीय संविधान के आधारभूत सिद्धांतों में से एक सेकुलरवाद के संदर्भ में भी महत्व देना चाहिए। जिस सामाजिक न्याय को हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र राज्य का लक्ष्य घोषित किया गया है, यह निर्णय उस दिशा में एक निर्णायक और ठोस कदम कहा जा सकता है। यह निर्णय संवैधानिक उपचार के क्षेत्र में भारतीय संविधान में अंतर्निहित समानता के मौलिक अधिकार की पुष्टि करने वाला है। वास्तविकता यह है कि कई सारे वर्तमान कानून येन केन प्रकारेण संविधान प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले हैं जिन सबकी पुनर्समीक्षा आज के वक्त की माँग है। 'धर्म खतरे में है' के चोर रास्ते से आधुनिक स्त्री के संवैधानिक अधिकारों को छीना जाना अब बंद होना चाहिए।